

“परंतु,—

- (i) केरल राज्य में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों ;
- (ii) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जिनके कारबार का मुख्य स्थान कर्नाटक राज्य के कुर्ग (कोडागु) जिले में है ;
- (iii) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जिनके कारबार का मुख्य स्थान पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में माहे में है,

के लिए जुलाई, 2018 और अगस्त, 2018 मास के लिए **प्ररूप जीएसटीआर -1** में विवरणी, सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप में, क्रमशः 5 अक्तूबर, 2018 और 10 अक्तूबर, 2018 को या उसके पहले दी जाएगी।”

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(पार्ट)]

डॉ. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 759(अ), तारीख 10 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2018

No. 37/2018—Central Tax

G.S.R. 802(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) the Commissioner hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 32/2018-Central Tax, dated the 10th August, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 759(E), dated the 10th August, 2018, namely:—

In the first paragraph of the said notification, the following proviso shall be inserted, namely:

“Provided that the return in **FORM GSTR-1** for the months of July, 2018 and August, 2018, for—

- (i) registered persons in the State of Kerala;
- (ii) registered persons whose principal place of business is in Kodagu district in the State of Karnataka; and
- (iii) registered persons whose principal place of business is in Mahe in the Union territory of Puducherry

shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 5th October, 2018 and 10th October, 2018 respectively.”.

[F. No. 349/58/2017-GST (Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R 759 (E), dated the 10th August, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2018

सं. 38/2018-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 803(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 760(अ), तारीख 10 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 33/2018-केंद्रीय कर, तारीख 10 अगस्त, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—